बजाज आलियांज **जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुमन देवी और अन्य**
(जी. एस. संधवालिया, जे.)

बजाज आलियांज **जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुमन देवी और अन्य**
(जी. एस. संधवालिया, जे.)

गुरमीत सिंह संधवालिया जे. के समक्ष

बजाज आलियांज **जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** .

अपीलकर्ता बनाम

सुमन देवी और अन्य प्रतिवादीगण 2020 **का एफ. ए. ओ. सं.** 2989

14 **जनवरी**, 2021

कर्मचारी मुवाअजा अधिनियम, 1923/एस.एस. 03, 04ए, 21 और 30—मृतक मथूरा मे प्रतिवादी न0 5 के वाहन पर एक चालक की एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली लगने से मौत हो गई थी— नूंह (हरियाणा) के आयुक्त ने पाया की मृतक की मृत्यू रोजगार के दौरान हुई थी और मौवआजे से सम्मानित किया— अधिकारी क्षेत्र मे लिए चुनौती था—माना गया कि अधिनियम 1 लाभकारी कानुन है— एस 21 मे प्रावधान है कि आयुक्त को उस क्षेत्र के लिए क्षेत्राधिकार होगा जहां मुआवजे का दावा करने वाला कर्मचारी या उसका अश्रित समान्य निवास करता है या नियोक्ता का अपना पंजीकृत कार्यलय है इसलिए यह नही कहां जा सकता कि नूंह मे आयुक्त का कोई अधिकार क्षेत्र नही था, मृतक को मरने का कारण भी बीमा को कोई बचाव प्रदान नही करेगा। आगे कहा गया। इसके अलावा नूंह के आयुक्त द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त को घारा 21 (1) के संदर्भ मे नोटिस जहां दुर्धटना हुई थी केवल प्रक्रियात्मक है यदि ऐसा नोटिस नही दिया गया है तो दावेदार को अनियमत्ता के लिए पूर्णग्रहित नही किया जा सकता है इसके अलावा शुरू मे एक माह के भीतर मुआवजे के भुगतान के चुक के मामले मे धारा 4ए मे ब्याज का दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसलिए, दुर्धटना की तारीख से 12 प्रतिशत का वैधानिक ब्याज देने का आयुक्त का आदेश वैघ नही है। घारा 30 मे प्रावधान है कि प्रयाप्त कानुन के प्रशन के खिलाफ अपील की जा सकती है जो कि विचाराधीन नही है—अपील समय सीमा मे खरिच कर दी गई है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की खंड 21 (1) के उपखंड (बी) और (सी) में आगे यह प्रावधान है कि आयुक्त के पास उस क्षेत्र के लिए अधिकार क्षेत्र होगा जिसमें कर्मचारी या उसकी मृत्यु के मामले में, मुआवजे का दावा करने वाला आश्रित सामान्य रूप से रहता है या नियोक्ता का अपना पंजीकृत कार्यालय है।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि नूंह के आयुक्त के पास इस तरह का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, यदि दावेदार.आश्रित सामान्य रूप से नूंह के क्षेत्र में रह रहे हैं। अपीलकर्ता के पास उपलब्ध एकमात्र तर्क यह है कि अधिनियम की खंड 21 (1) के प्रावधान के बाद से यह प्रावधान है कि यदि आयुक्त को, उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त के अलावा, जिसमें दुर्घटना हुई थी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त और संबंधित राज्य सरकार को नोटिस देना है।यह अनुरोध किया जाता है कि नूंह में आयुक्त द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त को कोई नोटिस नहीं दिया गया था जिसमें दुर्घटना हुई थी।उक्त परंतुक केवल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक है कि संबंधित अधिकार क्षेत्र के आयुक्त ने यह भी पता दिया है कि दूसरे आयुक्त ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और यदि नूंह के आयुक्त ने उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, तो दावेदारों को ऐसी किसी भी अनियमितता के लिए पूर्वाग्रहित नहीं किया जा सकता है, जो हुई है।

(पैरा 5)

आगे कहा गया कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा उठाया- गया एक और तर्क कि घटना की तारीख से आयुक्त द्वारा गलत तरीके से ब्याज दिया गया है, बिना किसी आधार के है।अधिनियम की खंड 4ए में प्रावधान है कि मुआवजे का भुगतान देय होने पर किया जाएगा और नियोक्ता द्वारा मुआवजे के

भुगतान में किसी भी चूक के लिए, यह दावेदार (ओं) के लाभ के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज और जुर्माने के रूप में होगा, जैसा कि अधिनियम की खंड 4ए के उप–खंड 3 (ए) और 3 (बी) के तहत प्रदान किया गया है। इस प्रकार, मुआवजे के भुगतान में चूक के मामले में उक्त प्रावधान में ब्याज और जुर्माने का प्रावधान है, जिसका भुगतान एक महीने के भीतर प्रारंभिक समय पर किया जाना था। आयुक्त ने अपीलकर्ता के साथ.साथ प्रतिवादी संख्या 5 को भी नोटिस दिया है। जुर्माने के उद्देश्य से, इसलिए, घटना/दुर्घटना की तारीख से 12 प्रतिशत की दर से वैधानिक ब्याज के भुगतान को किसी भी अनियमितता या अवैधता से पीड़ित नहीं माना जा सकता है।

(पैरा 6)

आगे कहा गया कि, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया अंतिम तर्क इस तथ्य के बारे में है कि मृतक की मृत्यु गोली की चोट से हुई थी जो किसी भी तरह से उसके रोजगार से जुड़ी नहीं थी, बिना किसी आधार के है। गोली से घायल करने वाले व्यक्ति का जो भी मकसद हो, उसका अधिनियम के तहत कार्यवाही में कोई प्रभाव नहीं है और बीमा कंपनी के पास चालक सुभाष की हत्या के कारण के पीछे कोई कारण नहीं होगा, और क्या यह दोषसिद्धि की ओर ले जाता है, यह भी प्रासंगिक नहीं है जब तक कि मृत्यु का संबध उसके रोजगार से है।

(पैरा 7)

पुनीत जैन, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

राकेश गुप्ता, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता नं1से 4 तक।

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुमन देवी और अन्य
(जी. एस. संधवालिया, जे.)

जी. एस. संधवालिया, जे. मौखिक

2021 का सीएम No.288-CII

(1) वर्तमान आवेदन अनुबंध ए-5 को रिकार्ड में रखने के लिए दायर किया गया है, जो कि आयुक्त के समक्ष रूपये 12,22,320/- की राशि जमा करने के लिए आवेदन है, और अनुबंध ए-6 को रिकार्ड में रखने के लिए भी, जो अपील के अंतिम निपटान तक दावेदार (ओं) को भुगतान का वितरण नहीं करने के लिए आवेदन है।

(2) सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन आवेदन की अनुमति है,

एफ. ए. ओ. No.2989-2020

(3) यह अपील बीमा कंपनी द्वारा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत नूंह के आयुक्त (इसके बाद "आयुक्त" के रूप में संदर्भित) के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत 8,16,640/– रूपये मृतक सुभाष सिंह की विधवा, माता–पिता और बच्चे दावेदारों को घटना की तारीख से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजा दिया जायेगा यह राशि इस तथ्य के कारण दी गई है कि मृतक, जो प्रतिवादी संख्या 5 के वाहन No.UP16-W-0077 पर चालक था। 24.07.2016 पर लगभग 10:00 बजे दिल्ली से मथुरा आते समय पिस्तौल की बंदूक से लगी चोट से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी।दावेदारों का मामला यह था कि जब मृतक दिल्ली से मथुरा आ रहा था, तब वह मथुरा जिले के थाना छट्टा के क्षेत्र में अकबरपुर चौक के पास पहुंचा, तो उक्त घटना हुई थी।परिणामस्वरूप, आयुक्त ने पाया कि मृतक और प्रतिवादी संख्या 5 के बीच नियोक्ता.कर्मचारी का संबंध था और प्राथमिकी आर. Ex.A-1 और पेपर कटिंग Ex.R-2 पर भरोसा करते हुए अपनी

नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।आयुक्त ने देखा कि प्रतिवादी का वाहन नं.5 का वाहन का अपीलकर्ता के साथ बीमा पॉलिसी Ex.A-4 के अनुसार बीमा किया गया था, जो 15.02.2016 से 14.02.2017 तक वैध था और इस प्रकार, इसमें घटना की तारीख, यानी 24.07.2016 शामिल थी।घटना के समय मृतक की आयु 33 वर्ष होने का सत्यापन करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस Ex.A-5 पर भरोसा किया गया था और मृतक की मजदूरी Rs.15,000/- प्रति माह होने का दावा किया गया था, सबूतों की कमी के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया था।हालांकि, उनके वेतन का आकलन 8,000/- रुपये प्रति माह के हिसाब से किया गया था।नतीजतन, 8,06,640/- रुपये की राशि को अंतिम संस्कार खर्चा 5,000/- रूपये व अन्य खर्च 5,000/- रूपये के साथ मुआवजे के रूप में प्रदान किया गया।

प्रतिवादी नं. 5 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जिनके खिलाफ एक महीने के भीतर मुआवजा जमा नहीं करने के लिए एकतरफा कार्रवाई की गई थी।

(4) अपीलकर्ता के वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि यह घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुई थीए इसलिए नूंह के आयुक्त के पास मुआवजा देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।उक्त तर्क पर ध्यान दिया जाना चाहिए और शुरू में ही खारिज किया जाना चाहिए।यह अधिनियम एक लाभकारी कानून है।कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की खंड 21 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) कार्यवाही और स्थानांतरण का स्थान प्रदान करती है।अधिनियम की खंड 21 (1) के प्रासंगिक भाग को तैयार संदर्भ के लिए यहां प्रस्तुत किया गया हैः.

"21. कार्यवाहियों और हस्तांतरण का स्थान-(1) जहां कोई

इस अधिनियम के तहत मामला एक आयुक्त द्वारा या उसके समक्ष किया जाना है, वही, अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, उस क्षेत्र के लिए आयुक्त द्वारा या उसके समक्ष किया जाएगा जिसमें .

(क) दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप चोट लगी, या (ख) कर्मचारी या उसकी मृत्यु के मामले में, मुआवजे का दावा करने वाला आश्रित सामान्य रूप से रहता है, या

(ग) नियोक्ता का अपना पंजीकृत कार्यालय हैः

बशर्ते कि जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई, उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त के अलावा किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त और संबंधित राज्य सरकार को नोटिस दिए बिना कार्रवाई नहीं की जाएगीः

XXX XXX XXX "

(5) अधिनियम की खंड 21 (1) के उपखंड (बी) और (सी) में आगे यह प्रावधान है कि आयुक्त के पास उस क्षेत्र के लिए अधिकार क्षेत्र होगा जिसमें कर्मचारी या उसकी मृत्यु के मामले में, मुआवजे का दावा करने वाला आश्रित सामान्य रूप से रहता है या नियोक्ता का अपना पंजीकृत कार्यालय है।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि नूंह के आयुक्त के पास इस तरह का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, यदि दावेदार.आश्रित आम तौर पर नूंह के क्षेत्र में रह रहे हैं। अपीलकर्ता के पास उपलब्ध एकमात्र तर्क यह है कि चूंकि अधिनियम की खंड 21 (1) के प्रावधान में यदि आयुक्त को, उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले

आयुक्त के अलावा, जिसमें दुर्घटना हुई थी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त और संबंधित राज्य सरकार को नोटिस देना है।यह अनुरोध किया जाता है कि नूंह में आयुक्त द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयुक्त को कोई नोटिस नहीं दिया गया था जिसमें दुर्घटना हुई थी। उक्त परंतुक केवल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक है कि संबंधित अधिकार क्षेत्र के आयुक्त ने यह भी पता है कि दूसरे आयुक्त ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और यदि नूंह के आयुक्त ने उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, तो दावेदारों को ऐसी किसी भी अनियमितता के लिए पूर्वाग्रहित नहीं किया जा सकता है, जो हुई है।

(6) अपीलकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क कि घटना की तारीख से आयुक्त द्वारा गलत तरीके से ब्याज दिया गया है, बिना किसी आधार के है।अधिनियम की खंड 4ए में प्रावधान है कि मुआवजे का भुगतान देय होने पर किया जाएगा और नियोक्ता द्वारा मुआवजे के भुगतान में किसी भी चूक के लिए, यह दावेदार (ओं) के लाभ के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज और जुर्माने के रूप में होगा, जैसा कि अधिनियम की खंड 4ए के उपखंड 3 (ए) और 3 (बी) के तहत प्रदान किया गया है। इस प्रकार, मुआवजे के भुगतान में चूक के मामले में उक्त प्रावधान में ब्याज और जुर्माने का प्रावधान है, जिसका भुगतान एक महीने के भीतर प्रारंभिक समय पर किया जाना था।आयुक्त ने अपीलकर्ता के साथ.साथ प्रतिवादी संख्या 5 को भी नोटिस दिया है। जुर्माने के उद्देश्य से, इसलिए, घटना/दुर्घटना की तारीख से 12 प्रतिशत की दर से वैधानिक ब्याज के भुगतान को किसी भी अनियमितता या अवैधता से पीड़ित नहीं माना जा सकता है।

(7) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया अंतिम तर्क इस तथ्य के बारे में है कि मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली से हुई थी, जो किसी भी तरह से उसकी नौकरी से जुड़ी नहीं थी, बिना किसी आधार के है।बंदूक की गोली से घायल करने वाले व्यक्ति का जो भी मकसद हो, उसका अधिनियम के तहत कार्यवाही में कोई प्रभाव नहीं है और बीमा कंपनी के पास चालक सुभाष की हत्या के कारण के पीछे कोई कारण नहीं होगा, और क्या यह दोषसिद्धि की ओर ले जाता है, यह भी प्रासंगिक नहीं है जब तक कि मृत्यु का संबध उसके रोजगार से है।

(8) अधिनियम की खंड 3 (1) में प्रावधान है कि यदि किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के कारण और उसके दौरान दुर्घटना से व्यक्तिगत चोट लगती है, तो उसका नियोक्ता इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।इस मामले में यह अदालत मेसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड बनाम श्रीमती राचा देवी और अन्य, समान परिस्थितियों वाले मामले से निपटाया ।उस मामले में कर्मचारी एक चालक था, जिसकी उसके द्वारा चलाए गए ट्रक में लदे सामान के साथ गुड़गांव से पटना जाते समय रास्ते में हत्या कर दी गई थी।यह माना जाता है कि "दुर्घटना" शब्द का अर्थ होगा उसकी नौकरी से और उसके दौरान उत्पन्न होने वाली दुर्घटना होगीऔर चोट का उचित सीमा के भीतर, एक निश्चित समय, स्थान और अवसर या कारण तक पता लगाया जाना चाहिए।नतीजतन, उस मामले में बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मृतक को लगी चोटें मृतक द्वारा नहीं बल्कि उन हमलावरों द्वारा बनाई गई थीं जो चोटों का कारण बनी थी।

(9) अन्यथा भी, अधिनियम की खंड 30 में यह प्रावधान है कि एक अपील केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के खिलाफ ही होगी और इस न्यायालय की राय है कि इस अपील में योग्यता पर विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहा है।

(10) परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की राय है कि आयुक्त द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, जो ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित और तर्कपूर्ण है।

(11) इस प्रकार, वर्तमान अपील को सीमित रूप से खारिज कर दिया जाता है।

(12) इस तथ्य की सूचना नूंह के आयुक्त को भेजी जाए ताकि मुआवजे की राशि दावेदारों को जारी की जा सके।

त्रिभुवन दहिया

1 2005(2) एससीटी 475

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यो के लिए निर्णय का अग्रेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

राजकुमार